

तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)

जसिचे रिपोर्ट पटवारी हल्का बसेठ बनाम भोवलडो भगवत माठकी

निर्णय


प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

निर्णय दिनांक :-

प्रकरण संख्या :- RA/24/2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम माठकी की आ0 ख0 नं0 540 कुल रकबा 0.2500 किस्म जमीन जोमरु मरघट में से 0.01 रकबे पर श्री भोवलडो भगवत कुम्हार माठकी पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर इच्छातः कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का बसेठ मसारी द्वारा दिनांक 22/12/2021 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0 अ0 निरीक्षक बसेठ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी भोवलडो भगवत जाति कुम्हार निवासी माठकी को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी भोवलडो भगवत कुम्हार उपस्थित नहीं हुआ/हुआ। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमें अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने की लिखित सहमति दी गई।

उक्त रकबा आ0 ख0 नं0 540 रकबा 0.2500 में से 0.01 रकबे किस्म जोमरु मरघट है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 22paise का 50 गुणा 110 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी बसेठ भू0 अ0 निरीक्षक बसेठ को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


तहसीलदार कठूमर (अलवर)
तहसीलदार
तहसील (कठूमर)